संख्या– 08(1)/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग–10 **लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2021**

विषयः– **कोरोना वायरस के स्ट्रेन की Sequencing तथा mutants की molecular surveillance हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन पत्र संख्या–01(2)/71–3–2021–कोविड–06/2020, दिनांक 01 जनवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **कोरोना वायरस के स्ट्रेन की Sequencing तथा mutants की molecular surveillance हेतु** रू0 108.00 लाख (रू0 एक करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वित्तीय नियमों तथा प्रकियाओं का अनुपालन किया जायेगा।

(2) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी प्रश्नगत व्यय किये जाने के सम्बन्ध में मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(3) उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग किये जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस संबंध में एसडीआरएफ से दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जो भी व्यय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 भी करायी जायेंगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1– 11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत– 05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–08(1)/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।